पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 221/2024 दिनांक- 15.07.2024

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना – जीयनपुर

सिर कटी लाश की घटना का सफल अनावरण; हत्या के 02 शातिर अपराधी अवैध असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार; घटना में प्रयुक्त एक फावड़ा, एक पिकअप व एक मोटरसाइकिल बरामद।

पूर्व की घटना/इतिहास–--

दिनांक 12.07.2024 को वादी मुकदमा कुलदीप सिंह पुत्र शैलेन्द्र कुमार सिंह ग्राम- रुद्रपुर भलुही पोस्ट- पिपरपाती जनपद- महराजगंज आजमगढ़ ने थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दिया कि अज्ञात बदमाशों द्वारा वादी मुकदमा के पिता शैलेन्द्र कुमार सिंह का अपहरण कर लिया गया है, के सम्बन्ध में थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 315/24 धारा 140(3) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 जाफर खाँ द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम में -

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण –

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित घटना का अनावरण हेतु थाना प्रभारी जीयनपुर को निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में दिनांक- 14.07.2024 को थानाध्यक्ष विवेक कुमार पाण्डेय मय हमराह को सूचना मिली कि एक अपराधी जिसके पास अवैध तमंचा है जो पेशेवर अपराधी है। दोहरीघाट की तरफ से लाटघाट की तरफ आ रहा है यदि जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है, इस सूचना पर थाना प्रभारी जीयनपुर द्वारा हमराही कर्मचारीगण को मकसद से अवगत कराते हुए कस्बा लाटघाट से मामूर होकर विक्रम इण्टर कालेज मुहम्मदपुर लाटघाट के सामने मंदिर के पास पहुंचे जहां घेराबन्दी कर बैठ गये कि कुछ समय पश्चात एक लाल रंग की मोटरसाईकिल दोहरीघाट की तरफ से आती हुई दिखायी दी जिसे पुलिस बल द्वारा घेरमारकर पकड़ लिया गया। पकडे गये व्यक्ति ने अपना नाम रामछवि उर्फ छबिया पुत्र बृजमोहन रामनि.ग्रामनगरीपार थाना दोहरीघाट जनपद मऊ बताया तथा उसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर व 920 रुपया नकद व एक मोबाइल बरामद हुआ। बरामद मोटरसाईकिल के सम्बन्ध में कागजात मांगा गया तो दिखा नही सका। अतः मौके पर ही मोटरसाइकिल को अन्तर्गत धारा 207 MV Act में सीज किया गया।

पूछताछ का विवरण-

➡ **गिरफ्तार अभियुक्त रामछवि ने बताया** कि मेरी व शंकर कन्नौजिया पुत्र लालचन्द कन्नौजिया निवासी ग्राम हाजीपुर थाना रौनापार जिला आजमगढ़ की मुलाकात लगभग 12 वर्ष पूर्व मऊ जेल में हुई थी और वही से हमदोनो की दोस्ती हो गई जेल से छुटने के बाद हमलोगो का एक दूसरे के घर आना जाना शुरु हो गया। शंकर के साथ उसका दोस्त छांगुर नाई पुत्र जितेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम मुहम्मदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ भी साथ में आता था। हम लोग मिलकर लकड़ी कटवाने का काम करने लगे। लकड़ी को लाने व ले जाने में पिकअप वाहन किराये पर लेते थे जिसका काफी किराया लगता था तो हमदोनो लोगो ने पिकअप वाहन की व्यवस्था के लिए फर्जी कागज तैयार करने की योजना बनाई तथा दिनाँक 01.07.2024 को मेरे मित्र शंकर कन्नौजिया जनपद गोरखपुर जाकर एक पिकअप गाडी एक हजार रुपये पर बुक कराया और ड्राईवर शैलेन्द्र सिंह से कहा कि फर्नीचर का सामान लाना है जब हमारी व्यवस्था हो जायेगी तो हम आपसे सम्पर्क करेंगे तथा ड्राईवर शैलेन्द्र का मो0नं0 8545xxxxx लेकर आ गया।

➡दिनाँक- 03.07.2024 को हमलोगो ने शैलेन्द्र को गाड़ी सहित भाडे पर ले जाने के लिए लाटघाट बुलाया ड्राईवर लगभग 3 से 4 बजे दिन में लाटघाट गाडी पिकअप लेकर आ गया तो उससे बहाना बनाया गया कि फर्नीचर का सामान अभी तैयार नही है कुछ देर लगेगा तबतक आप खाना पीना कर लिजिए और वो राजधानी ढाबा लाटघाट पर कुछ खाने पीने के लिए चला गया शाम को मोटर साईकिल से शंकर ड्राईवर को लेकर रामपुर के पास मिला और कहा कि पिकअप गाडी पर बैठ जाओ और आगे आगे शंकर तथा पीछे मै व ड्राईवर पिकअप गाडी से शंकर के किराये के मकान ग्राम रोहुआर पर हमलोग आये और ड्राईवर को खाद्य पदार्थ में जहरीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया गया कुछ देर में वह अचेत हो गया तब हम दोनो ने उसको फावडे व बाका से काटकर गढ्ढा खोदकर मकान के पीछे हाते में गर्दन के निचले हिस्से (धड़) को मिट्टी में गाड़ कर लाश से बदबू न आये इसलिए नमक डालकर बाडी को घास फुस व मिट्टी से ढक दिया तथा उसके सर को शंकर लेकर मोटर साइकिल से कहीं दूसरी जगह लेकर चला गया था जिसे मै नही जानता तथा पिकअप गाडी का नम्बर प्लेट फर्जी कागजात के आधार पर लगाकर जिसके बारे में छांगुर नाई को पहले से जानकारी थी उसे छांगुर नाई को हमलोगो ने दे दिया था जिससे गाड़ी का नामो निशान मिट जाये मै और उसने बोला कि जैसा तुम्हे बताउगा वैसा ही करना उसके बाद मै अपने घर पर चला आया। उसके बाद से मेरा शंकर से फोन से सम्पर्क होता रहा। अतः पकडे गये व्यक्ति को मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए **समय करीब 10.35 बजे हिरासत पुलिस** में लिया गया।

➡गिरफ्तार अभियुक्त की निशान देही पर थाना रौनपारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रोहआर में **अभियुक्त शंकर के** किराये के मकान पर पहुँचे जहां शंकर मौजूद नहीं था, एसडीएम सगड़ी व फोरेन्सिक टीम की उपस्थिति में मकान के अण्डर ग्राउन्ड में घटना में प्रयुक्त फावड़ा बरामद किया गया। मकान के पीछे बाउन्ड्री में एक स्थान पर मिट्टी व घास-फुस का ढेर को हटवाकर सिर कटी शव को बरामद किया गया।

➡ गिरफ्तार अभियुक्त रामछवि उपरोक्त के द्वारा बताये गये **स्थान कल्याणपुर पुलिया के पास से अभियुक्त छांगुर पुत्र जितेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम मुहम्मदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 31** वर्ष को घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल, पिकअप वाहन के फर्जी दस्तावेज के साथ समय **16.20 बजे पुलिस हिरासत** में लिया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त छांगुर उपरोक्त के निशानदेही पर बिना नम्बर प्लेट का **01 पिकअप वाहन** को **छत्रपति शिवाजी इण्टर कालेज रोहुआर थाना रौनापार** से बरामद किया गया।

➡बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना जीयनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 315/2024 धारा 140(3) BNS में धारा 238/309(6)/103/3(5)/318/319/338/336/340/61(2)/123/317(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट व 207 MV Act की बढोत्तरी करते हुए अभियुक्त 1. रामछवि उर्फ छबिया पुत्र बृजमोहन रामनि.ग्रामनगरीपार थाना दोहरीघाट जनपद मऊ 2. शंकर कन्नौजिया पुत्र लालचन्द कन्नौजिया निवासी ग्राम हाजीपुर थाना रौनापार जिला आजमगढ़ 3. छांगुर पुत्र जितेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम मुहम्मदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ का नाम प्रकाश में लाया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. रामछवि उर्फ छबिया पुत्र बृजमोहन रामनि.ग्रामनगरीपार थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र करीब 59 वर्ष। **(HS थाना दोहरीघाट मऊ)**

2. छांगुर पुत्र जितेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम मुहम्मदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 31 वर्ष।

फरार अभियुक्त-

1- शंकर कन्नौजिया पुत्र लालचन्द कन्नौजिया निवासी ग्राम हाजीपुर थाना रौनापार जिला आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:-

1- एक तमंचा 315 बोर व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर

2- एक आलाकत्ल फावड़ा व 02 मोबाईल एक मोटरसाईकिल व एक वाहन पिकअप व नकद 920 रूपया बरामद।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 315/2024 धारा 140(3) BNS व बढोतरी धारा 238/309(6)/103/3(5)/318/319/338/336/340/61(2)/123/317(2) BNS व 3/25 आर्मस एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास- अभियुक्त रामछवि उर्फ छबिया पुत्र बृजमोहन रामनि.ग्राम नगरीपार थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	0175/2018	307/504 भादवि	दोहरीघाट	मऊ
2.	0178/2018	3/25 आर्मस एक्ट	दोहरीघाट	मऊ
3.	0397/2019	506 भादवि	दोहरीघाट	मऊ
4.	0589/2020	323/506 भादवि	दोहरीघाट	मऊ
5.	0019/2023	60 आबकारी एक्ट	दोहरीघाट	मऊ
6.	0004/2012	110 जी सीआरपीसी	दोहरीघाट	मऊ
7.	0111/2014	110 जी सीआरपीसी	दोहरीघाट	मऊ
8.	0215/2014	¾ गुण्डा एक्ट	दोहरीघाट	मऊ
9.	0187/2003	307 भादवि	घोसी	मऊ
10.	0188/2011	110 जी सीआरपीसी	दोहरीघाट	मऊ
11.	2232/2010	110 जी सीआरपीसी	दोहरीघाट	मऊ
12.	0232/2012	323/325/394/452/504/506 भादवि	मधुबन	मऊ
13.	0317/2013	323/325/336/504/506 भादवि	मधुबन	मऊ
14.	0020/2003	457/380 भादवि	दोहरीघाट	मऊ
15.	0965/2007	8/21 एनडीपीएस एक्ट	दोहरीघाट	मऊ
16.	1049/2008	8/20 एनडीपीएस एक्ट	दोहरीघाट	मऊ
17.	1050/2008	3/25 आर्मस एक्ट	दोहरीघाट	मऊ
18.	0292/2013	323/325/504/506 भादवि	दोहरीघाट	मऊ
19.	0348/2017	323/504/506 भादवि	दोहरीघाट	मऊ
20.	0608/2017	60 आबकारी एक्ट	दोहरीघाट	मऊ
21.	1996	3(1) गैगेस्टर एक्ट	दोहरीघाट	मऊ
22.	1998	110 जी सीआरपीसी	दोहरीघाट	मऊ
23.	1999	3/4 गुण्डा एक्ट	दोहरीघाट	मऊ
24.	1995	3/4 गुण्डा एक्ट	दोहरीघाट	मऊ
25.	12/2003	-	हलधरपुर	मऊ
26.	315/2024	140(3) BNS व बढोतरी धारा 238/309(6)/103/3(5)/318/319/338/336/340/61(2)/123/317(2) BNS व 3/25 आर्मस एक्ट	जीयनपुर	आजमगढ़

02. अभियुक्त छांगुर पुत्र जितेन्द्र शर्मा का आपराधिक इतिहास पंजीकृत मुकदमा है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष विवेक कुमार पाण्डेय मय हमराह थाना जीयनपुर आजमगढ़

2. उ0नि0 जाफर खान मय हमराह थाना जीयनपुर आजमगढ़